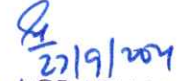


भाग— IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	उमरिया जिले में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.109 हेक्टेयर (ऑनलाईन आवेदित 0.126 हेक्टेयर) वनभूमि मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद पाली, उमरिया को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	--

तिथि:— 27/09/2021
स्थान:— भोपाल।


(SUNIL AGRAWAL)
Addl. P.C.C.F. (L.M.)
Madhya Pradesh, Bhopal